

CHAPTER - VIII
RETURNS

¹[Rule 59 : Form and manner of furnishing details of outward supplies

1 Rule 59 substituted by Noti. No. 82/2020–Central Tax, dt. 10-11-2020 w.e.f. 01-01-2021. Earlier to substitution it read as under:

"Rule 59 : Form and manner of furnishing details of outward supplies

- (1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in **FORM GSTR-1** electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The details of outward supplies of goods or services or both furnished in **FORM GSTR-1** shall include the –
 - (a) invoice wise details of all -
 - (i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and
 - (ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakh rupees made to the unregistered persons;
 - (b) consolidated details of all -
 - (i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and
 - (ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;
 - (c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.
- (3) The details of outward supplies furnished by the supplier shall be made available electronically to the concerned registered persons (recipients) in **Part A** of **FORM GSTR- 2A**, in **FORM GSTR-4A** and in **FORM GSTR-6A** through the common portal after the due date of filing of **FORM GSTR-1**.
- (4) The details of inward supplies added, corrected or deleted by the recipient in his **FORM GSTR-2** under section 38 or **FORM GSTR-4** or **FORM GSTR-6** under section 39 shall be made available to the supplier electronically in **FORM GSTR-1A** through the common portal and such supplier may either accept or reject the modifications made by the recipient and **FORM GSTR-1** furnished earlier by the supplier shall stand amended to the extent of modifications accepted by him.

^A[(5) Notwithstanding anything contained in this rule, -

- (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;
- (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (1) Every registered person, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), required to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37, shall furnish such details in **FORM GSTR-1** for the month or the quarter, as the case may be, electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre as may be notified by the Commissioner.
- (2) The registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 may furnish the details of such outward supplies of goods or services or both to a registered person, as he may consider necessary, for the first and second months of a quarter, up to a cumulative value of fifty lakh rupees in each of the months, using invoice furnishing facility (hereafter in this notification referred to as the "IFF") electronically on the common portal, duly authenticated in the manner prescribed under rule 26, from the 1st day of the month succeeding such month till the 13th day of the said month.
²[**Provided that** a registered person may furnish such details, for the month of April, 2021, using IFF from the 1st day of May, 2021 till the 28th day of May, 2021.]
³[**Provided further** that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1st day of June, 2021 till the 28th day of June, 2021.]
- (3) The details of outward supplies furnished using the IFF, for the first and second months of a quarter, shall not be furnished in **FORM GSTR-1** for the said quarter.
- (4) The details of outward supplies of goods or services or both furnished

facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;

- (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.]"

A Earlier sub-rule (5) inserted by Noti. No. 94/2020-Central Tax, dt. 22-12-2020 w.e.f. 22-12-2020.

- 2 Proviso inserted by Noti. No. 13/2021-Central Tax, dt. 01-05-2021 w.e.f. 01-05-2021.
- 3 Second proviso inserted by Noti. No. 27/2021-Central Tax, dt. 01-06-2021 w.e.f. 01-06-2021.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

in **FORM GSTR-1** shall include the—

- (a) invoice wise details of all -
 - (i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and
 - (ii) inter-State supplies with invoice value more than two and a half lakh rupees made to the unregistered persons;
 - (b) consolidated details of all -
 - (i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and
 - (ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto two and a half lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;
 - (c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.
- (5) The details of outward supplies of goods or services or both furnished using the IFF shall include the –
- (a) invoice wise details of inter-State and intra-State supplies made to the registered persons;
 - (b) debit and credit notes, if any, issued during the month for such invoices issued previously.]
- ⁴[(6) Notwithstanding anything contained in this rule, -
- (a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** ⁵[for the preceding month];
 - (b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;
 - (c) ⁶[****]]

4 Sub-rule (6) inserted by Noti. No. 01/2021–Central Tax, dt. 01-01-2021 w.e.f. 01-01-2021.

5 Substituted for "for preceding two months" by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021 w.e.f. 01-01-2022.

6 Clause (c) omitted by N.N. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021 w.e.f. 01-01-2022.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

⁷[(d) a registered person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88C in respect of a tax period, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons for any amount remaining unpaid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88C.]

Earlier to omission it read as under:

"(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period."

7 Clause (d) inserted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022.

अध्याय 8

विवरणियां

¹[नियम 59 : जावक प्रदाय के ब्यौरे देने का प्ररूप और रीति

1 अधिसूचना क्रमांक 82/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 59 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था-

"नियम 59 : जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति

(1) एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं की जावक प्रदायों या दोनों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह ऐसे ब्यौरों को इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या प्ररूप जीएसटीआर-1 में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(2) मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) निम्नलिखित के बीजक-वार ब्यौरे-

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर राज्य और अंतःराज्य प्रदाय; और

(ii) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय;

(ख) निम्नलिखित के एकीकृत ब्यौरे-

(क) प्रत्येक कर दर के लिए गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतःराज्य प्रदाय; और

(ख) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को दो लाख पचास हजार रूपए के बीजक मूल्य तक के साथ की गई अंतर राज्य प्रदाय;

(ग) पूर्व में जारी बीजकों के लिए मास के दौरान जारी नामे और प्रत्यय टिप्पण, यदि कोई हों।

(3) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के ब्यौरों को इलैक्ट्रॉनिकी रूप में संबंधित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (प्राप्तकर्ताओं) को प्ररूप जीएसटीआर-2क के भाग क, प्ररूप जीएसटीआर-4क और प्ररूप जीएसटीआर-6क के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने के लिए सम्यक् तारीख के पश्चात् उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) प्राप्तकर्ता द्वारा उसके धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2 या धारा 39 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-4 या प्ररूप जीएसटीआर-6 में जोड़ी गई, सही की गई या लोप की गई जावक प्रदायों के ब्यौरों को प्रदायकर्ता को इलैक्ट्रॉनिकी रूप में प्ररूप जीएसटीआर-1क के माध्यम से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसा प्रदायकर्ता प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए उपांतरणों को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा और प्रदायकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत प्ररूप जीएसटीआर-1 उसके द्वारा स्वीकृत उपांतरणों के परिमाण तक संशोधित हो जाएगा।

A[5] इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है, धारा 37 के अधीन माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित है, किसी मास के या तिमाही के लिए, जैसा भी मामला हो, प्ररूप जीएसटीआर-1 में ऐसे ब्यौरे सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।
- (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रदान किए गए माल या सेवा या दोनों के ऐसे जावक प्रदाय के ब्यौरे, जैसा वह आवश्यक समझे, तिमाही के पहले या दूसरे माह में, प्रत्येक माह में पचास लाख रुपये का संचयी मूल्य तक, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, (जिसे उक्त अधिसूचना में "आई एफ एफ" कहा गया है) नियम 26 के अधीन विहित रीति में साम्यक रूप से अधिप्रमाणित, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के पहले दिन से उस मास के 13वें दिन तक, प्रस्तुत कर सकता है।
- ²[परन्तु कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल, 2021 के लिए बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, मई 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।]
- ³[परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई, 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।]
- (3) तिमाही के पहले और दूसरे माह में आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए जावक प्रदाय के ब्यौरे को उक्त तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

- (ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86(ख) के अधीन यह प्रतिबंध हो कि, 99% से अधिक देयकर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

A अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा उपनियम (5) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

- 2 अधिसूचना क्रमांक 13/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.05.2021 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।
- 3 अधिसूचना क्रमांक 27/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 द्वारा दूसरा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.06.2021)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(4) प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) सभी के बीजकवार ब्यौरे -

- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिय प्रदाय, और
- (ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किया गया दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक बीजक मूल्य के साथ अन्तरराज्यिक प्रदाय;

(ख) सभी के समेकित ब्यौरे -

- (i) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया अन्तरराज्यिय प्रदाय, और
- (ii) प्रत्येक दर के कर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किया गया दो लाख पचास हजार रूपए तक बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अन्तरराज्यिक प्रदाय;

(ग) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन या प्रत्यय पत्र, यदि कोई हों।

(5) आई एफ एफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किए गए माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे में निम्नलिखित शामिल होगा-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए अन्तरराज्यिक और अन्तरराज्यिय प्रदाय के बीजकवार ब्यौरे

(ख) पहले जारी किए गए बीजक के लिए, माह के दौरान, जारी किए गए विकलन और प्रत्यय पत्र, यदि कोई हों।

⁴[(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने ⁵[पूर्ववर्ती मास के लिए] प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

4 अधिसूचना क्रमांक 1/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2021 द्वारा उपनियम (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2021)।

5 अधिसूचना क्रमांक 35/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा "पिछले दो महीने के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(ग) ⁶[.....]

- 7[(घ) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे कर अवधि के संबंध में नियम 88ग के उपनियम-1 के उपबंधों के अधीन सामान्य पोर्टल पर एक सूचना जारी की गई है, को धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के जावक आपूर्तियों के ब्यौरे, पश्चात्पूर्ती कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या, जब तक कि उसने या तो उक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं की हो या किसी असंदत्त राशि के कारणों को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रस्तुत न किया हो जो नियम 88ग के उपनियम-2 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित है।

-
- 6 अधिसूचना क्रमांक 35/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा खंड (ग) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :
- (ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलैक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।
- 7 अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा खंड (घ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।